दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १ बृहस्पतिवार 16 अगस्त, 2001 / श्रावण 25,1923 शिक्र

संख्या : 162

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना चान्दनी चौक, दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री मुकेश शर्मा, महाबल मिश्रा, श्रीमती मुशीला जयिकशन व श्री राज कुमार चौहान को 13.08.2001 को 1330 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अतर्गत पुलिस के विधि सम्मद निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया । उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात 13.08.2001 को 1430 बजे रिहा कर दिया गया।

सिर्दाय राव कार्यवाहक सिवव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETION PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Thursday, 16 August, 2001/ Shravana 25, 1923(Saka)

No. 162

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S. Chandni Chowk Delhi.

"I have the honour to inform you that S/Sh Mukesh Sharma, Mahabal mishra, Smt. Sushila Jai Kishan & Raj Kumar Chauhan MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the lawful direction of Police at 1330 Hrs on 13th August, 2001.

They were released at 1430 Ars. from the same place on the same day i.e. 13.08.2001."

SIDDHARATH RAO OFFICIATING SECRETARY